संख्या:132/2026/785/35-4-2026/35-4099/24/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल,2026

विषय: जनपद गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-219/2022/818/35-4-2022/001-35-4099/24/2022, दिनांक 04 अगस्त, 2022 तथा शासनादेश संख्या-220/2022/819/35-4-2022/001-35-4099/24/2022, दिनांक 04 अगस्त, 2022 के द्वारा जनपद गोरखपुर के 05 चौराहों के सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित कार्यों की स्वीकृतियां निर्गत की गयी थी। इन चौराहों के सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित कार्यों में विद्युत सम्बन्धी कार्य हेतु शासनादेश संख्या-447/2022/1620/35-4-2022/001-35-4099/24/2022, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 द्वारा रू0 286.64 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 143.32 लाख (रूपये एक करोड़ तिरालिस लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- आपके पत्रांक-1246/त्व0आ0वि0यो0/2024-25, दिनांक 05.02.2026 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक व्यय होना इंगित करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अतः एतद्वारा उपर्युक्त शासनादेश से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू0 76.25 लाख (रूपये छिहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत (अनुमन्य चार्ज सहित)	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
जनपद गोरखपुर में पांच चौराहों के सुदृढीकरण/ सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित कार्यों में विद्युती सम्बन्धित।	286.64	67.07	219.57	143.32	76.25

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ० प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 लखनऊः दिनाँक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. कार्य से संबंधित कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 गणनाशीट, आदि अभिलेख्य / सूचना उपलब्ध कराये जाये।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 76,25,000/- (रूपये छिहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 480180800030302 शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 लखनऊः दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:132/2026/785/35-4-2026/35-4099/24/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ० प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ०प्र० शासन ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव / विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त गोरखपुर मण्डल ।
8. उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
11. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन।
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर ।
14. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।
15. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
16. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।